RESPONSE TO CALLING ATTENTION MOTION NO. 23

ADMITTED FOR 29.08.2023

SHRI JAGBIR MALIK, HON'BLE MEMBER, HARYANA VIDHAN SABHA

Objective of Parivar Pehchan Patra (PPP)

- Parivar Pehchan Patra (PPP) is an ambitious programme whose primary objective is to 1) deliver welfare schemes and other services of Government at the doorstep of the beneficiary. It draws from the digital infrastructure and principles created by Aadhar. However, it is many times more complicated than Aadhar in its delivery. Aadhar primarily keeps unique identity information whereas PPP goes far beyond to maintain socio-economic information besides unique identity information in the form of Aadhar. Aadhar does not verify any data except identity e.g., date of birth is not verified in Aadhar. On the other hand, PPP verifies every information field available with it through specific procedures. This enables PPP to proactively identify beneficiaries unlike Aadhar which cannot enable identification of beneficiaries but can only eliminate duplication. Aadhar took over 6 years to achieve mass scale and integration with schemes whereas PPP has been able to achieve it in over 2 years despite the Coronavirus pandemic intervening in between. Similar to Aadhar, PPP has also undergone a process of self-improvement and correction to iron out difficulties and issues faced on implementation. Under the circumstances, Haryana has shown a path to every state in the country to take forward the advantages offered by Aadhar.
- 2) The primary objective of PPP is to provide benefits to the beneficiary at the doorstep proactively without undergoing a separate inspection or verification process by each Government agency or having to submit documents as proof or visit any government office. In the last year, many schemes and services have been linked to PPP for pro-active delivery.
- 3) PPP has a compilation of the data elements of all individuals in a family which are required by different government agencies for the purpose of determining eligibility for schemes and services. Each data field is verified through customised and defined procedures. The data for each family is collected on the basis of a signed self-declaration made by an adult member of the family and then separately verified. PPN also has family relationships built in and an 8-digit Family Id is provided to each unique family. The dynamism of the family structure is also maintained and updated at all times, wherein changes made due to life events such as birth, death or marriage is, to the extent electronically feasible, automatically captured and updated.

Benefit of PPP---Proactive services

4) Parivar Pehchan Number eliminates the need for submission of affidavits or documents for many schemes and services. For example, for issue of a Scheduled Caste certificate, the applicant previously had to submit an affidavit with an application which had to be verified by the lumberdar, patwari, Kanungo and thereafter issued by the Tehsildar in the physical

mode. After the launch of pro-active issue of Scheduled Caste certificates through PPP in April 2022, the applicant has to go online and authenticate his credentials using OTP on the registered mobile number and thereafter print the SC certificate. Over 6.96 lakh certificates have been issued till 25th August, 2023 after the launch of the scheme. Similarly, over 4.69 lakh BC(A) and BC(B) certificates have been issued pro-actively since the launch of the service in July 2022. During admissions to State Government educational institutions, the applicant student only needs to provide his or her PPN whereafter the SC, BC(A) and BC(B) status is verified automatically. Admissions to all colleges was introduced in July 2022 and the facility has been extended to admissions to all schools, universities, ITIs and polytechnics from the current academic year.

- 5) The expansion of the delivery of public welfare schemes like benefit of subsidised rations under the Public Distribution System (PDS) to Below Poverty Line (BPL), pro-active benefit of Old Age Samman Allowance, Divyang Pension benefits, Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana, Mukhyamantri Antyodyay Parivar Utthan Yojana etc have been made possible because of implementation of PPP.
- 6) The table below provides the detail of benefits provided in PDS through issue of BPL ration cards since January 2010 onwards:

#	Month and Year	No. of Ration Cards
1.	January 2010	11,95,698
2.	January 2014	28,22,501
3.	January 2019	26,62,160
4.	January 2022	27,00,570
5.	January 2023	30,38,599
6.	August, 2023	36,58,142

Note: The table includes Other Priority Household (OPH) beneficiaries till December 2022, whereafter the OPH category was merged into the BPL category.

The table shows that over a net of 9.67 lakh ration cards have been added since January 2022 benefitting a large section of the deserving population that was earlier being denied the benefits of PDS besides the elimination of a large number of ineligible beneficiaries.

This may be contrasted with the position prior to the introduction of PPP. A BPL survey was conducted in 2004 which had to be cancelled because of significant public opposition. Thereafter a fresh survey was conducted in 2007 by the Haryana Ex-Servicemen League. This too could not be completed because of public outcry and litigation. CWP No. 1581 of 2010 filed before the Hon'ble High Court of Punjab and Haryana carried the prayer to remove ineligible families from the list of BPL which were identified based on the 2007 survey. Several instances of such families were quoted in the petition. Examples were given in the CWP of families consisting of public servants, had large land holding or high incomes were issued ration cards. An instance was also quoted of a family which though one combined family, had been split into many to receive more than one ration card. Disciplinary action was initiated on the directions of the Hon'ble High Court against several officials besides action against the Haryana Ex-servicemen League. The PPP has attempted to address these issues

by linking with several other databases which bear income or asset characteristics and by introducing the concept of 'Exclusions' besides checking the splitting of families, which aim at preventing frauds of the nature mentioned in the said Civil Writ Petition. PPP also has procedures for dynamic correction of data to smoothen any discrepancies that come to notice thereby ensuring that those deserving are able to access the benefits and those ineligible are identified, and benefits discontinued.

8) Old Age Samman Allowance benefits have been linked pro-actively to PPP. The verification process of all those in the age group of 59 to 70 are being identified including those who were left out in the earlier process and their consent is being sought for start of the Allowance. This process is likely to be completed by September 2023. However, as and when a beneficiary is identified, the data is pushed to the Social Justice, Empowerment and Welfare of SCs, BCs and Antyodyay (SEWA) Department for seeking the consent of the beneficiary and starting pension benefits. The total number of Old Age Samman Allowance Recipients from 2014 onwards is provided in the table below:

#	Month and Year	No. of Old Age Samman
		beneficiaries
1.	April 2014	13,50,507
2.	April 2019	15,66,703
3.	April 2022	17,50,039
4.	April 2023	17,85,375
5.	August, 2023	18,10,913

Till August 25, 2023, 1,03,828 beneficiaries have received Old Age Samman Allowance via the proactive mode and data of another 90,000 has recently been pushed by PPP to SEWA recently for seeking consent of beneficiaries. From the beginning of the pro-active scheme, the number of those who have denied consent due to incorrect verification is 18,871 which is only 10.1% of the total pushed. Old Age Samman Allowance was halted for 63,353 beneficiaries on account of self-declared data by families in PPP. On verification, allowance has been restored to 44,050 beneficiaries. Thereby, Old Age Samman Allowance has been stopped on account of PPP for only 19,303 beneficiaries of which 17,661 cases are those where the beneficiary has been conclusively proven to be dead on the basis of data in the Register of Deaths maintained online by the Registrar General of India. Efforts are constantly underway to further reduce errors in identification and ensure proper operation of the pro-active delivery process.

- 9) This may again be contrasted with the position that existed earlier. In the case of Old Age Samman Allowance too, CWP no. 801 of 2017 was filed alleging wrongdoing in the identification of beneficiaries and seeking action against officials who had sanctioned the Old Age Samman Allowance wrongly since 2010 besides recovery of the allowance amount. The matter is currently sub-judice. PPP attempts to place multiple and regular checks in the implementation of the scheme so that even if any beneficiary is wrongly identified, then the same can be identified at any time including at the time of obtaining consent.
- 10) In the current academic year 2023-24, 3.52 lakh fresh admissions have been made in private and government schools based on PPP data. Similarly, 1.28 lakh admissions have

been made in colleges through the Online Admission Portal of the Department of Higher Education using PPP data. Admissions to Industrial Training Institutes (ITIs) is still underway and till date 1.01 lakh registrations using PPP for admission to ITIs has been received on the Online Admission Portal of the Department of Skill Development and Industrial Training, of which 61,405 admissions have been made. A total of 37,531 registrations have been done for admissions to technical education institutions through PPP data and the admission process is still underway. Last year 31,071 admissions were made in State Government funded Universities using PPP data while this year admissions are underway. No case of admission denial has been brought to notice of Government as a result of PPP data.

11) The Haryana Parivar Pehchan Act came into force in September 2021. The HPPA act is a comprehensive legislation that lays out clearly the legal tenets for fundamental issues such as privacy and data integrity as also operational areas such as data repository, the data fields that can be stored in PPP, mechanisms for data updation etc. It is in compliance with the legal structure for laid out by the Hon'ble Supreme Court in the case of K.S Puttuswamy & anr. v/s Union of India on the right to privacy in the context of implementation of Aadhar. Two challenges to the implementation of PPP through civil writ petitions have been dismissed by the Hon'ble Punjab and Haryana High Court.

Issues arising in PPP

- 12) PPP has a robust correction and grievance redressal mechanism through online portals. The common issues faced by citizens w.r.t PPN relate primarily to the following:
 - Correction in individual data fields such as parents' or spouse's name, mobile number, status etc.
 - Incomplete or incorrect data verification for fields such as Income or Date of Birth
 - Denial of service/benefit, mainly Old Age Samman pension and other social security pensions and ration card.

The settlement of grievances and verification of each data field in PPN is done via a detailed and customised process.

- 13) In order to address the data issues, elaborate mechanisms and Standard Operating Procedures (SOPs) have been devised for data updation and correction in the data fields via the 'Correction Module' and for raising grievances in case of service denial via the 'Grievance module'. For both of these, citizen can raise a request directly by himself or on the assisted mode on the portal. From July 2021 onwards till date, 52,98,352 requests have been received in the Correction module, of which 46,75,211 cases have been resolved. Similarly, in the Grievance module from June 2022 onwards till date, 10,07,210 grievances have been received, of which 9,62,419 have been resolved.
- 14) The correction mechanisms with the abridged procedures (SOPs) for the issues mentioned by the Hon'ble Member in his notice are presented at **ANNEXURE I.** Specifically

77,111 correction requests for caste category were received from July 2021 till 26th August of which 74,290 issues have been resolved and 2191 requests are pending. In case of Mark as Alive, 7,583 correction requests have been received since July 2021 till 26th August of which 7,423 cases have been settled leaving only 160 requests are pending. In the case of spouse name corrections, in the same period 16,362 correction requests have been received of which 16,290 cases have been settled leaving 272 cases pending. Correction of mobile number is done on the automatic mode based on the mobile number linked to the Aadhar number of the Head of Family. 11,56,222 cases for mobile number correction have been received of which all have been resolved. Certain manipulations by field operators were noticed in the "Add Member" correction facility and FIR is being registered against such operators. Improvements are being made to the defined procedure for the "Add Member" correction facility to prevent such manipulations.

Verification processes are nearing completion in the critical fields for delivery. Verification has been completed for 89.5% of all families claiming any specific caste category status (36.42 lakhs) in their self-declaration. Verification has been completed for 90.7% of all persons (2.78 crore citizens) for date of birth. Income verification has been completed for 97.2% of all signed families (68.29 lakhs) in PPP. Occupation verifications are still underway and are likely to be completed by October 2023.

Administration and Budgeting

16) PPP has been designed, developed and implemented through in-house resources and no vendor or company has been appointed for the purpose. The expenditure on implementation of PPP has been minimal and largely done to Government employees who have been co-opted as Team Leads in the 19,825 Local Committees and 1082 Sector Committees that have been constituted in the field. No remuneration is provided to the other members of the Local Committees and Sector Committees other than the Team Lead and the Local Operator. The year-wise expenditure on PPP implementation is placed below:

Year	Expenditure (Rs Crores)
2020-21	6.44
2021-22	28.89
2022-23	47.82
2023-24 (till July 2023)	21.24

The major portion of the budget in was spent on payment for Government employees and various computer operators and government functionaries tasked with different verification responsibilities. For example in FY 2022-23, out of the total expenditure of Rs 47.82 crore, Rs 21.97 crore was paid to Government servants for verification, Rs 3.16 crore to Local Operators and Rs 18.54 lakhs to ASHA workers. This is besides the salary payments to office staff in the office of Additional Deputy Commissioners who have been designated as District Citizen Resource Information Officers for administration of PPP in the field.

Conclusion

17) Just like other large scale digital initiatives at the national level such as Aadhar and UPI, the PPP mechanism is continuously evolving to deliver the intended benefits to the people of the State. Hon'ble Member and the house is assured that all the measures illustrated in this response for addressing citizen grievances will continue to be strengthened and monitored closely to ensure that the overall objective of PPP to bring about a significant improvement in the citizen experience and delivery of benefits is achieved.

<u>Issue-wise process for updation in Parivar Pehchan Number</u>

For issues mentioned in the Calling Attention Motion

Issue	Process/SOP	
BC/General category	In case caste/caste category of a citizen is wrongly verified in FIDR,	
shown wrong	he/she can visit the Citizen Corner → Report Caste Grievance on the meraparivar.haryana.gov.in web portal.	
	• The citizen logs in to the portal by providing his/her family ID and the OTP which is sent to the Head of the Family. Once logged in, the citizen selects his correct caste and caste category and submits the application.	
	The application is electronically forwarded to the respective Kanungo/Tehsildar based on the last verification level of the caste of the family member.	
	The Kanungo/Tehsildar verify the caste and caste category of the citizen.	
	Based on the algorithm specified in FIDR, the caste and caste category of the citizen is either verified or moved to the next level of verification (in case of Kanungo verification).	
Living Persons marked as dead	 i. <u>CRS System:</u> Deaths reported in the State can be registered on the CRS system. The system requires the Aadhar no. of the deceased person to be provided at time of registration of death. This data is linked with FIDR and hence, the citizen linked with the Aadhar is also automatically marked as dead in the same. ii. <u>Correction Module:</u> A family member can manually report the death of a family member by providing the death certificate of the member in case the death is registered outside the State or in case the member is not automatically marked as dead by the system. However, cases have been reported wherein, while registering the deaths at CRS portal, the reportee has provided his/her Aadhar number instead of the Aadhar number of the deceased person due to which wrong person is marked as dead in FIDR. Hence, a provision has been provided to mark citizens as alive in FIDR. 	
	Citizens can visit the correction module through Citizen Corner → Update Family Details on the meraparivar.haryana.gov.in web portal and submit their request for Marking a family member alive.	

Issue	Process/SOP
	A physical verification is conducted by the ADC-cum-DCRIO office
	to ensure that it is a valid request post which the citizen is marked
Mife Name Many	as Alive in FIDR.
Wife Name Wrong	Citizens can visit the correction module through Citizen Corner Update Family Details on the meraparivar.haryana.gov.in web portal and select the spouse's name option.
	 In case Aadhar number of the spouse is available, the name as mentioned on the Aadhar can be update on a real time basis by entering the name and Aadhar number of the spouse. In case Aadhar number of the spouse is not available, the citizen is required enter the name of the spouse name which is then searched across the family. In case a family member of the same name is found and the relationship of that member with the citizen is Husband or Wife, then the spouse name is updated in FIDR In all other cases, the citizen is required to upload a document showcasing his/her spouse name which is then forwarded to
	the ADC-cum-DCRIO for physical verification and approval.
Father Name Wrong	 Citizens can visit the correction module through Citizen Corner → Update Family Details on the meraparivar.haryana.gov.in web portal and select the Father name option In case Aadhar number of the father is available, the name as mentioned on the Aadhar can be update on a real time basis by entering the name and Aadhar if the father is found as a family member in the same family ID and the relationship of the citizen with that member is Father. In case Aadhar number of father is not present or in case the father is not found in the family, the case is electronically pushed to the DCRIM of the respective district for verification.
Phone Number Change	Citizens can visit the Citizen Corner → Update Mobile No. on the meraparivar.haryana.gov.in web portal
	 Citizen provides his/her Aadhar number along with the phone number which he/she requires to update in FIDR. An OTP is sent on the mobile number registered in Aadhar. Once the OTP is provided on the portal, the mobile number provided by the citizen is updated in FIDR
Electricity Exclusion	 Citizens can visit the Citizen Corner → Report Exclusion Grievance. on the meraparivar.haryana.gov.in web portal. Citizen provides his/her family ID and the OTP which is sent to the head of the family. Citizen shall be showcased the list of family members along with

Issue	Process/SOP
	 the exclusion(s) applied on the respective member of the family. The citizen can view the reason of exclusion on the portal. In case the citizen feels that either the electricity bill amount is, or the electricity consumer linked to the citizen is incorrect, he/she can challenge the exclusion. The record is electronically sent to the respective SDO of the electricity utility (UHBVN/DHBVN) for re-verification. The SDO updates the record as per his/her verification and provides in the system which is then updated in FIDR
Add/Delete IDs	The Add/delete member(s) functionality has been temporarily discontinued from the portal since it was observed that the functionality was being misused in some cases to wrongly split their families in the field. However, currently, the system allows for addition of new family members (who have not yet been enrolled in FIDR) and addition of old family members into families from which they were originally deleted.
Merger of Family	Merger of family is no longer valid in FIDR post the introduction of Add/Delete functionality
Addition of wife of other State	There is no such restriction in FIDR. A citizen from other State can be added in a family in the State provided that he/she is residing with the family. However, caste certificate for any citizen who is not a domicile of the State is not allowed to be issued through FIDR. This is in compliance with the existing guidelines of issuing of caste certificates.

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संख्या 23 का उत्तर 29.08.2023 के लिए स्वीकृत है श्री जगबीर मलिक, माननीय सदस्य, हरियाणा विधान सभा

परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) का उद्देश्य

- 1) परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और अन्य सेवाओं को लाभार्थी के घर द्वार पर पहुंचाना है। यह आधार द्वारा निर्मित डिजिटल बुनियादी ढांचे और सिद्धांतों से लिया गया है। हालाँकि इसकी प्रदायगी में यह आधार से कई गुना अधिक जटिल है। आधार में मुख्य रूप से यूनीक पहचान की जानकारी होती है, जबकि पीपीपी में आधार के रूप में विशिष्ट पहचान की जानकारी के अलावा सामाजिक-आर्थिक जानकारी भी होती है। आधार पहचान के अलावा किसी भी डेटा को सत्यापित नहीं करता है। उदहारण के तौर पर आधार में जन्मतिथि सत्यापित नहीं होती। दूसरी ओर, पीपीपी में उपलब्ध प्रत्येक जानकारी फील्ड को विशिष्ट प्रक्रियाओं के माध्यम से सत्यापित किया जाता है। यह पीपीपी को लाभार्थियों की सक्रिय रूप से पहचान करने में सक्षम बनाता है, जबिक आधार लाभार्थियों की पहचान करने में सक्षम नहीं है बल्कि दोहराव को ही समाप्त कर सकता है। आधार को बड़े पैमाने पर तैयार करने और योजनाओं के साथ एकीकरण करने में 6 साल से अधिक का समय लगा, जबकि पीपीपी, बीच में कोरोनोवायरस महामारी के बावजूद, 2 साल में तैयार कर लिया गया। आधार के समान, पीपीपी को भी कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों और मुद्दों को दूर करने के लिए सुधार की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा है। इन परिस्थितियों में, हरियाणा ने देश के हर राज्य को आधार लाभों को आगे बढ़ाने का रास्ता दिखाया है।
- 2) पीपीपी का प्राथमिक उद्देश्य प्रत्येक सरकारी एजेंसी द्वारा अलग से निरीक्षण या सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करने या प्रमाण के रूप में दस्तावेज जमा करने या किसी सरकारी कार्यालय जाए बिना लाभार्थी को उसके घर द्वार पर सक्रिय रूप से लाभ प्रदान करना है। पिछले वर्ष में सक्रीय प्रदायगी के लिए कई योजनाओं और सेवाओं को पीपीपी से जोड़ा गया है।
- 3) पीपीपी में एक परिवार के सभी व्यक्तियों के डेटा तत्वों का संकलन होता है जो योजनाओं और सेवाओं के लिए पात्रता निर्धारित करने के उद्देश्य से विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा अपेक्षित हैं। प्रत्येक डेटा फ़ील्ड को अनुकूलित और परिभाषित प्रक्रियाओं के माध्यम से सत्यापित किया जाता है। प्रत्येक परिवार का डेटा परिवार के एक वयस्क सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित स्वधाषणा के आधार पर एकत्र किया जाता है और फिर अलग से सत्यापित किया जाता है। पीपीएन में पारिवारिक रिश्ते भी उल्लिखित होते हैं और प्रत्येक परिवार को 8 अंकों की

पारिवारिक आईडी प्रदान की जाती है। पारिवारिक संरचना को भी हर समय अपडेटेड रखा और अद्यतन किया जाता है जिसमें जन्म, मृत्यु या विवाह जैसी जीवन की घटनाओं के कारण होने वाले परिवर्तन, जहाँ तक संभव हो इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्वचालित रूप से, एकत्रित और अद्यतन किए जाते हैं।

पीपीपी का लाभ--- सक्रीय सेवा

- 4) परिवार पहचान संख्या से कई योजनाओं और सेवाओं के लिए शपथ पत्र या दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए, अनुसूचित जाित प्रमाण पत्र जारी करने के लिए, आवेदक को पहले एक आवेदन के साथ एक हलफनामा जमा करना पड़ता था, जिसे नंबरदार, पटवारी, कानूनगो द्वारा सत्यापित किया जाता था और उसके बाद भौतिक पद्यति में तहसीलदार द्वारा जारी किया जाता था। अप्रैल 2022 में पीपीपी के माध्यम से अनुसुचित जाित प्रमाणपत्रों को सक्रीय रूप से जारी करने की शुरुआत के बाद, आवेदक को ऑनलाइन ढंग से पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी का उपयोग करके अपनी पहचान प्रमाणित करनी होती है और उसके बाद एससी प्रमाणपत्र प्रिंट करना होता है। योजना शुरू होने के बाद 25 अगस्त, 2023 तक 6.96 लाख से अधिक प्रमाणपत्र जारी किये जा चुके हैं। इसी प्रकार जुलाई 2022 में सेवा के शुभारंभ के बाद से 4.69 लाख से अधिक बीसी (ए) और बीसी (बी) प्रमाणपत्र सिक्रय रूप से जारी किए गए हैं। राज्य सरकार के शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के दौरान, आवेदक छात्र को केवल अपना पीपीएन प्रदान करना होगा जिसके बाद एससी, बीसी(ए) और बीसी(बी) स्थिति स्वचालित रूप से सत्यापित हो जाती है। सभी कॉलेजों में प्रवेश जुलाई 2022 में शुरू किया गया था और चालू शैक्षणिक वर्ष से सभी स्कूलों, विश्वविद्यालयों, आईटीआई और पॉलिटेक्निक में प्रवेश के लिए यह स्विधा प्रदान की गई है।
- 5) गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत सब्सिडी वाले राशन का लाभ, वृद्धावस्था सम्मान भता, दिव्यांग पेंशन, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना आदि जैसी जन कल्याण योजनाओं का विस्तार पीपीपी के कार्यान्वयन के कारण संभव हुआ है।
- 6) नीचे दी गई तालिका में जनवरी 2010 से बीपीएल राशन कार्ड जारी करने के माध्यम से पीडीएस में प्रदान किए गए लाओं का विवरण दिया गया है:

क्रम संख्या	माह एवं वर्ष	राशन कार्डों की संख्या
1.	जनवरी 2010	11,95,698
2.	जनवरी 2014	28,22,501
3	जनवरी 2019	26,62,160
4.	जनवरी 2022	27,00,570
5.	जनवरी 2023	30,38,599

6. अगस्त 2023 36,58,142

टिप्पणी: तालिका में दिसंबर 2022 तक अन्य प्राथमिकता वाले (ओपीएच) लाभार्थी परिवार शामिल हैं, जिसके बाद ओपीएच श्रेणी का बीपीएल श्रेणी में विलय कर दिया गया।

तालिका से पता चलता है कि जनवरी 2022 के बाद से कुल 9.67 लाख से अधिक राशन कार्ड जोड़े गए हैं, जिससे बड़ी संख्या में अयोग्य लाभार्थियों को बहार कर देने से पात्र आबादी के एक बड़े हिस्से को लाभ ह्आ है, जिन्हे पहले पीडीएस के लाभों से वंचित किया जा रहा था।

7) इसकी त्लना पीपीपी की श्रूआत से पहले की स्थिति से की जा सकती है। 2004 में एक बीपीएल सर्वेक्षण करवाया गया था जिसे जनता के भारी विरोध के कारण रद्द करना पड़ा था। इसके बाद 2007 में हरियाणा पूर्व सैनिक लीग द्वारा एक नया सर्वेक्षण किया गया। जनता के आक्रोश और मुकदमेबाजी के कारण यह भी पूरा नहीं हो सका। माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष 2010 की सीडब्ल्यूपी संख्या 1581 दायर की गई जिसमे अपात्र परिवारों को बीपीएल की सूची से हटाने की प्रार्थना की गई थी, जिनकी पहचान 2007 के सर्वेक्षण के आधार पर की गई थी। याचिका में ऐसे परिवारों के कई उदाहरण उद्धृत किये गये थे। सीडब्ल्यूपी में ऐसे परिवारों के उदाहरण दिए गए थे जिनमें सरकारी कर्मचारी शामिल थे, जिनके पास बड़ी भूमि जोत थी या उच्च आय थी और उन्हें राशन कार्ड जारी किए गए थे। एक ऐसे परिवार का भी उदाहरण दिया गया जो एक संयुक्त परिवार होते हुए भी एक से अधिक राशन कार्ड प्राप्त करने के लिए कई भागों में विभाजित किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर हरियाणा पूर्व सैनिक लीग के खिलाफ कार्रवाई के अलावा कई अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई थी। पीपीपी को कई अन्य डेटाबेसों को जोड़ने से इन मृद्दों का समाधान करने का प्रयास किया गया है, जो आय या संपत्ति की विशेषताओं को दर्शाते हैं और परिवारों के विभाजन की जांच करने के अलावा 'अपवर्जन' ('Exclusion') की अवधारणा को प्रस्तुत करते हैं, जिसका उद्देश्य उक्त सिविल रिट में उल्लिखित प्रकृति की धोखाधड़ी को रोकना है। याचिका। पीपीपी में किसी भी विसंगति को दूर करने के लिए डेटा में गतिशील सुधार की प्रक्रियाएं भी हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि जो पात्र हैं वे लाभ प्राप्त करने में सक्षम हों और जो अपात्र हैं उनकी पहचान की जाती है और लाभ बंद कर दिए जाते हैं।

8) वृद्धावस्था सम्मान भता लाभ को सिक्रय रूप से पीपीपी से जोड़ा गया है। सत्यापन प्रक्रिया में 59 से 70 आयु वर्ग के सभी लोगों की पहचान की जा रही है और उन लोगों की भी पहचान की जा रही है जो पिछली प्रक्रिया में छूट गए थे और भता शुरू करने के लिए उनकी सहमित ली जा रही है। यह प्रक्रिया सितंबर 2023 तक पूरी होने की संभावना है। हालांकि, जब भी किसी लाभार्थी की पहचान की जाती है, तो लाभार्थी की सहमित और पंशन शुरू करने के लिए डेटा को सामाजिक न्याय, अधिकारिता कल्याण और एससीए बीसी विभाग और अंत्योदय (सेवा) विभाग को भेज दिया जाता है।

2014 के बाद से वृद्धावस्था सम्मान भत्ता प्राप्तकर्ताओं की कुल संख्या नीचे दी गई तालिका में दी गई है:

क्रम संख्या	माह एवं वर्ष	वृद्धावस्था सम्मान लाभार्थियों की
		संख्या
1.	अप्रैल 2014	13,50,507
2.	अप्रैल 2019	15,66,703
3	अप्रैल 2022	17,50,039
4.	अप्रैल 2023	17,85,375
5.	अगस्त २०२३	18,10,913

25 अगस्त, 2023 तक, 1,03,828 लाभार्थियों को सिक्रय पद्यित से वृद्धावस्था सम्मान भता प्राप्त हुआ है और हाल ही में अन्य 90,000 लाभार्थियों का डेटा सहमित लेने के लिए पीपीपी द्वारा सेवा को भेज दिया गया है। सिक्रीय स्कीम की शुरुआत के बाद से, गलत सत्यापन के कारण सहमित से इनकार करने वालों की संख्या 18,871 है, जो कुल का केवल 10.1% है। परिवारों द्वारा पीपीपी में स्व-घोषित डेटा के कारण 63,353 लाभार्थियों का वृद्धावस्था सम्मान भता रोक दिया गया। सत्यापन के बाद 44,050 लाभार्थियों को भत्ता बहाल कर दिया गया है। इस प्रकार, केवल 19,303 लाभार्थियों का पीपीपी के कारण वृद्धावस्था सम्मान भता रोका गया है, जिनमें से 17,661 मामले ऐसे हैं, जहां भारत के रिजस्ट्रार जनरल द्वारा ऑनलाइन बनाए गए मृत्यु के रिजस्टर के डेटा के आधार पर लाभार्थी को निर्णायक रूप से मृत साबित कर दिया गया है। पहचान में त्रुटियों को और कम करने और सिक्रय प्रदायगी प्रक्रिया के उचित संचालन को सुनिश्चित करने के प्रयास लगातार जारी हैं।

9) इसकी तुलना फिर से उस स्थिति से की जा सकती है जो पहले मौजूद थी। वृद्धावस्था सम्मान भता के मामले में भी 2017 की सीडब्ल्यूपी नं. 801 दायर की गई थीए जिसमें लाभार्थियों की पहचान गलत ढंग से करने का आरोप लगाया गया था और भता राशि की वसूली के अलावा 2010 से गलत तरीके से वृद्धावस्था सम्मान भता स्वीकृत करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। मामला फिलहाल अदालत में विचाराधीन है। पीपीपी योजना के कार्यान्वयन से कई और नियमित जांच करने का प्रयास किया जाता है ताकि यदि किसी लाभार्थी की गलत पहचान हो भी जाए, तो भी सहमति प्राप्त करने के समय उसकी पहचान की जा सके।

- 10) चालू शैक्षणिक वर्ष 2023-24 में पीपीपी डेटा के आधार पर निजी और सरकारी स्कूलों में 3.52 लाख नए प्रवेश हुए हैं। इसी प्रकार उच्च शिक्षा विभाग के ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल के माध्यम से पीपीपी डेटा का उपयोग करके कॉलेजों में 1.28 लाख दाखिले किए गए हैं। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में प्रवेश अभी भी चल रहा है और अब तक कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल पर आईटीआई में प्रवेश के लिए पीपीपी का उपयोग करते हुए 1.01 लाख पंजीकरण हुए हैं, जिनमें से 61,405 का दाखिला हो चुका है। पिछले वर्ष पीपीपी आधार पर तकनिकी शिक्षण संस्थानों में 37,531 प्रवेश किये गए और इस वर्ष प्रवेश की प्रक्रिया चल रही है। गत वर्ष पीपीपी डाटा के आधार पर राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित विश्वविद्यालयों में 31,071 प्रवेश किये किये गए और इस वर्ष की प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। पी पी पी डाटा के कारण प्रवेश से वंचित करने का कोई भी मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है।
- 11) हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम सितंबर 2021 में लागू हुआ है। एचपीपीए अधिनियम एक व्यापक कानून है जो गोपनीयता और डेटा विश्वसनीयता जैसे मौलिक मुद्दों के साथ-साथ डेटा रिपॉजिटरी, डेटा फ़ील्ड जो कि पीपीपी में संग्रहीत किया जा सकता है, डेटा अपडेशन के लिए तंत्र आदि। जैसे परिचालन क्षेत्रों के लिए कानूनी सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से बताता है। आधार के कार्यान्वयन के संदर्भ में निजता के अधिकार पर यह के.एस. पुट्टुस्वामी बनाम भारत संघ के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानूनी संरचना के अनुपालन में है। सिविल रिट याचिकाओं के माध्यम से पीपीपी के कार्यान्वयन की दो चुनौतियों को माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है।

पीपीपी के मुद्दे

- 12) पीपीपी में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से एक मजबूत सुधार और शिकायत निवारण तंत्र है। पीपीएन के संबंध में नागरिकों द्वारा सामना किए जाने वाले सामान्य मुद्दे मुख्य रूप से निम्नलिखित से संबंधित हैं:
- व्यक्तिगत डेटा फ़ील्ड जैसे कि माता-पिता या पित या पत्नी का नाम, मोबाइल नंबर, स्थिति आदि में स्धार।
- आय या जन्मतिथि जैसे फील्ड के लिए अपूर्ण या गलत डेटा सत्यापन
- मुख्य रूप से वृद्धावस्था सम्मान पेंशन और अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन और राशन कार्ड की सेवा के लाभ से वंचित करना।
- पीपीएन में शिकायतों का निपटान और प्रत्येक डेटा फ़ील्ड का सत्यापन एक विस्तृत और अनुकूलित प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है।

- 13) डेटा मुद्दों का समाधान करने के लिए, विस्तृत तंत्र और मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) तैयार की गई हैं। डेटा क्षेत्रों में डेटा अपडेशन और सुधार के लिए 'सुधार मॉड्यूल' और 'शिकायत मॉड्यूल' के माध्यम से सेवा से इनकार के मामले में शिकायतें उठाने के लिए इन दोनों के लिए, नागरिक सीधे स्वयं या पोर्टल पर सहायता प्राप्त मोड पर अनुरोध कर सकता है। जुलाई 2021 से अब तक, सुधार मॉड्यूल में 52,98,352 अनुरोध प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 46,75,211 का समाधान किया गया है। इसी प्रकार, शिकायत मॉड्यूल में जून 2022 से अब तक 10,07,210 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 9,62,419 का समाधान किया जा चुका है।
- 14) माननीय सदस्य द्वारा अपने नोटिस में उल्लिखित मुद्दों के लिए संक्षिप्त प्रक्रियाओं (एसओपी) के साथ सुधार तंत्र अनुलग्नक-1(Annexure-I) में दिए गए हैं। विशेष रूप से जुलाई 2021 से 26 अगस्त तक जाति श्रेणी के लिए 77,111 सुधार अनुरोध प्राप्त हुए थे, जिनमें से 74,290 का समाधान कर दिया गया है और 2191 अनुरोध लंबित हैं। मार्क एस अलाइव से, जुलाई 2021 से 26 अगस्त तक 7,583 सुधार अनुरोध प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 7,423 मामलों का निपटारा किया जा चुका है और केवल 160 अनुरोध लंबित हैं। पति/पत्नी के नाम में सुधार के मामले में, इसी अवधि में 16,362 सुधार अनुरोध प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 16,290 मामलों का निपटारा कर दिया गया है और 272 मामले लंबित हैं। परिवार के मुखिया के आधार नंबर से जुड़े मोबाइल नंबर के आधार पर मोबाइल नंबर का सुधार स्वचालित मोड पर किया जाता है। मोबाइल नंबर सुधार के 11,56,222 मामले प्राप्त हुए हैं, जिनमें से सभी का समाधान कर दिया गया है। "सदस्य जोड़ें" सुधार सुविधा में फ़ील्ड ऑपरेटरों द्वारा कुछ हेरा फेरी की गई है और ऐसे ऑपरेटरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। इस तरह की हेरा फेरी को रोकने के लिए "सदस्य जोड़ें" सुधार सुविधा के लिए परिभाषित प्रक्रिया में सुधार किए जा रहे हैं।
- 15) प्रदायगी के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सत्यापन प्रक्रियाएं पूरी होने वाली हैं। अपने स्व-घोषणा में किसी विशिष्ट जाति श्रेणी की स्थित (36.42 लाख) का दावा करने वाले सभी परिवारों में से 89.5% का सत्यापन पूरा हो चुका है। सभी व्यक्तियों (2.78 करोड़ नागरिक) में से 90.7% की जन्मतिथि का सत्यापन पूरा हो चुका है। पीपीपी में दर्ज सभी परिवारों (68.29 लाख) में से 97.2% की आय का सत्यापन पूरा हो चुका है। व्यवसाय सत्यापन अभी भी चल रहा है और अक्टूबर 2023 तक पूरा होने की संभावना है।

प्रशासन और बजट

16) पीपीपी को अपने संसाधनों के माध्यम से डिजाइन, विकसित और कार्यान्वित किया गया है और इस उद्देश्य के लिए किसी वेंडर या कंपनी को नियुक्त नहीं किया गया है। पीपीपी के कार्यान्वयन पर व्यय न्यूनतम रहा है और बड़े पैमाने पर सरकारी कर्मचारियों पर किया गया है, जिन्हें क्षेत्र में गठित 19,825 स्थानीय समितियों और 1082 सेक्टर समितियों में टीम लीड

के रूप में शामिल किया गया है। टीम लीड और स्थानीय ऑपरेटर के अलावा स्थानीय समितियों और सेक्टर समितियों के अन्य सदस्यों को कोई पारिश्रमिक प्रदान नहीं किया जाता है। पीपीपी कार्यान्वयन पर वर्ष-वार व्यय नीचे दिया गया है:

वर्ष	व्यय (करोड़ रुपये)
2020-21	6.44
2021-22	28.89
2022-23	47.82
2023-24 (जुलाई 2023 तक)	21.24

बजट का बड़ा हिस्सा सरकारी कर्मचारियों और विभिन्न कंप्यूटर ऑपरेटरों और विभिन्न सत्यापन जिम्मेदारियों वाले सरकारी अधिकारियों के भुगतान पर खर्च किया गया था। उदाहरण के लिए वित्त वर्ष 2022-23 में 47.82 करोड़ रुपये के कुल खर्च में से 21.97 करोड़ रुपये सरकारी कर्मचारियों को सत्यापन के लिए, 3.16 करोड़ रुपये स्थानीय ऑपरेटरों को और 18.54 लाख रुपये आशा कार्यकर्ताओं को दिए गए। यह अतिरिक्त उपायुक्तों के कार्यालय में कर्मचारियों को वेतन भुगतान के अलावा है, जिन्हें क्षेत्र में पीपीपी के प्रशासन के लिए जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

निष्कर्ष

17) राष्ट्रीय स्तर पर आधार और यूपीआई जैसी अन्य बड़े पैमाने की डिजिटल पहलों की तरह, राज्य के लोगों को अपेक्षित लाभ पहुंचाने के लिए पीपीपी तंत्र लगातार विकसित हो रहा है। निष्कर्ष में माननिय सदस्य और सदैव को आश्वस्त करता हूँ की लोगों की शिकायतों के निवारण में लिए इस उत्तर में जिन बातों का उल्लेख किया गया है उन्हें निरंतर सुंदरढ किया जाएगा और उनकी निगरानी की जाएगी ताकि नागरिकों के अनुभव में महत्वपूर्ण सुधर लाने और और प्रदायगी लाभों को प्राप्त करने के पीपीपी के सभी उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्नित हो।

परिवार पहचान संख्या में अद्यतन करने हेतु समस्यावार प्रक्रिया

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में वर्णित मुद्दों के लिए

समस्या	प्रक्रिया / एसओपी
बीसी / सामान्य श्रेणी को गलत दर्शाया गया है	यदि किसी नागरिक की जाति / जाति श्रेणी को एफआईडीआर में गलत तरीके से सत्यापित किया गया है, तो वह meraparivar.haryana.gov.in वेब पोर्टल पर सिटीजन कॉर्नर रिपोर्ट जाति शिकायत पर जा सकता है।
	 नागरिक अपनी पारिवारिक आईडी और ओटीपी भरकर पोर्टल पर लॉग इन करता है जो परिवार के मुखिया को भेजा जाता है। एक बार लॉगइन करने के बाद, नागरिक अपनी सही जाति और जाति श्रेणी का चयन करता है और आवेदन जमा करता है।
	 परिवार के सदस्य की जाति के अंतिम सत्यापन स्तर के आधार पर आवेदन को इलेक्ट्रॉनिक रूप से संबंधित कानूनगो / तहसीलदार को भेज दिया जाता है।
	 कानूनगो / तहसीलदार नागरिक की जाति और जाति श्रेणी का सत्यापन करते हैं।
	 एफआईडीआर में निर्दिष्ट एल्गोरिदम के आधार पर, नागरिक की जाति और जाति श्रेणी को या तो सत्यापित कर दिया जाता है या सत्यापन के अगले स्तर पर ले जाया जाता है (कानूनगो सत्यापन के मामले में)।
जीवित व्यक्ति को	नागरिकों को एफआईडीआर में दो तरह से मृत चिह्नित किया जाता है :
मृत चिह्नित किया गया है	i. सीआरएस प्रणाली : राज्य में होने वाली मौतों को सीआरएस प्रणाली पर दर्ज किया जा सकता है। मृत्यु के पंजीकरण के समय सिस्टम को मृतक का आधार नंबर उपलब्ध करवाए जाने की आवश्यकता होती है। यह डेटा एफआईडीआर से जुड़ा हुआ है और इसलिए, आधार से जुड़े नागरिक को भी स्वचालित रूप से मृत चिह्नित कर दिया जाता है।
	ii. सुधार मॉड्यूल : यदि मृत्यु राज्य के बाहर पंजीकृत है या सिस्टम द्वारा सदस्य को स्वचालित रूप से मृत चिह्नित नहीं किया गया है, तो परिवार का कोई सदस्य, मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाकर मैन्युअल तरीके से परिवार के सदस्य की मृत्यु की रिपोर्ट कर सकता है।
	हालाँकि, ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें सीआरएस पोर्टल पर मृत्यु दर्ज करते समय, रिपोर्टकर्ता मृत व्यक्ति के आधार नंबर के बजाय अपना आधार नंबर दे देता है, जिसके कारण गलत व्यक्ति को एफआईडीआर में मृत चिह्नित कर दिया जाता है। इसलिए, एफआईडीआर में नागरिकों को जीवित चिह्नित करने का प्रावधान किया गया है।
	नागरिक सिटीजन कॉर्नर के माध्यम से सुधार मॉड्यूल पर
	जाएं → meraparivar.haryana.gov.in वेब पोर्टल पर परिवार विवरण अपडेट करें और परिवार के किसी सदस्य को जीवित चिह्नित करने के लिए अपना अनुरोध सबिमट करें। एडीसी—सह—डीसीआरआईओ कार्यालय द्वारा यह सुनिश्चित

	करने के लिए एक भौतिक सत्यापन किया जाता है कि जिस नागरिक को एफआईडीआर में जीवित चिह्नित किया गया है, वह एक वैध अनुरोध पोस्ट है।
पत्नी का नाम गलत है	नागरिक सिटीजन कॉर्नर के माध्यम से सुधार मॉड्यूल पर जाएं -> meraparivar.haryana.gov.in वेब पोर्टल पर पारिवारिक विवरण अपडेट करें और जीवनसाथी का नाम विकल्प चुनें।
	 यदि पति / पत्नी का आधार नंबर उपलब्ध है, तो आधार पर वर्णित नाम को पति—पत्नी का नाम और आधार नंबर दर्ज करके वास्तविक समय आधार पर अपडेट किया जा सकता है।
	 यदि पति/पत्नी का आधार नंबर उपलब्ध नहीं है, तो नागरिक को अपने पति/पत्नी का नाम दर्ज करना होगा, जिसे बाद में पूरे परिवार में खोजा जाएगा। यदि उस नाम का कोई पारिवारिक सदस्य पाया जाता है और उस सदस्य का नागरिक के साथ संबंध पति या पत्नी का सम्बन्ध है, तो पति/पत्नी का नाम एफआईडीआर में अपडेट हो जाएगा।
	 अन्य सभी मामलों में, नागरिक को अपने पित या पत्नी का नाम प्रदर्शित करने वाला एक दस्तावेज अपलोड करना आवश्यक है, जिसे भौतिक सत्यापन और अनुमोदन के लिए एडीसी—सह—डीसीआरआईओ को भेज दिया जाता है।
पिता का नाम गलत है	नागरिक सिटीजन कॉर्नर के माध्यम से सुधार मॉड्यूल पर जाएं) meraparivar.haryana.gov.in वेब पोर्टल पर परिवार विवरण अपडेट करें और पिता का नाम विकल्प चुनें।
	 यदि पिता का आधार नंबर उपलब्ध है और यदि पिता उसी परिवार आईडी में परिवार के सदस्य के रूप में पाया जाता है तथा नागरिक का उस सदस्य से पिता का संबंध है, तो आधार पर वर्णित नाम को नाम और आधार दर्ज करके वास्तविक समय आधार पर अपडेट किया जा सकता है।
	 यदि पिता का आधार नंबर मौजूद नहीं है या परिवार में पिता नहीं पाया जाता, तो मामले को सत्यापन के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से संबंधित जिले के डीसीआरआईएम को भेज दिया जाता है।
फोन नंबर बदलें	नागरिक सिटीजन कॉर्नर पर जाएं >> meraparivar.haryana.gov.in वेब पोर्टल पर मोबाइल नंबर अपडेट करें।
	 नागरिक उस फोन नंबर के साथ अपना आधार नंबर उपलब्ध करवाएं, जिसे उसे एफआईडीआर में अद्यतन करने की आवश्यकता है।
	आधार में पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाता है।
	 पोर्टल पर ओटीपी उपलब्ध कराने के बाद, नागरिक द्वारा प्रदान किया गया मोबाइल नंबर एफआईडीआर में अपडेट हो जाएगा।
बिजली अपवर्जन	नागरिक सिटीजन कॉर्नर पर जाएं > meraparivar.haryana.gov.in वेब पोर्टल पर अपवर्जन सम्बन्धी शिकायत दर्ज करें।
	 नागरिक अपनी पारिवारिक आईडी और ओटीपी उपलब्ध करवाएगा, जो परिवार के मुखिया को भेजा जाएगा।

	 नागरिक के समक्ष परिवार के संबंधित सदस्य पर लागू अपवर्जन वाले परिवार के सदस्यों की सूची प्रदर्शित की जाएगी।
	• नागरिक पोर्टल पर अपवर्जन का कारण देख सकता है।
	 यदि नागरिक को लगता है कि बिजली बिल की राशि या नागरिक से जुड़ा बिजली उपभोक्ता गलत है, तो वह अपवर्जन को चुनौती दे सकता है।
	 रिकॉर्ड को पुनः सत्यापन के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से बिजली निगम (यूएचबीवीएन / डीएचबीवीएन) के संबंधित एसडीओ को भेजा जाता है। एसडीओ अपने सत्यापन के अनुसार रिकॉर्ड को अपडेट करता है और सिस्टम में उपलब्ध करवाता है जिसे फिर एफआईडीआर में अपडेट किया जाता है।
आईडी जोड़ें / हटाएं	सदस्यों को जोड़ने / हटाने की कार्यक्षमता को पोर्टल से अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है क्योंकि यह देखा गया कि फील्ड में कुछ मामलों में परिवारों को गलत तरीके से विभाजित करने के लिए इस कार्यक्षमता का दुरुपयोग किया जा रहा था।
	हालाँकि, वर्तमान में सिस्टम परिवार के नए सदस्यों (जिन्हें अभी तक एफआईडीआर में नामांकित नहीं किया गया है) को जोड़ने और परिवार के पुराने सदस्यों को उन परिवारों में जोड़ने की अनुमित देता है, जहाँ से उन्हें मूल रूप से हटा दिया गया था।
परिवार का विलय	जोड़ने / हटाने की कार्यक्षमता शुरू होने के बाद परिवार का विलय अब एफआईडीआर में मान्य नहीं है।
दूसरे राज्य से पत्नी को जोड़ना	एफआईडीआर में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। दूसरे राज्य के नागरिक को राज्य के किसी परिवार में जोड़ा जा सकता है, बशर्ते कि वह परिवार के साथ रह रहा हो।
	हालाँकि, ऐसे किसी भी नागरिक, जो राज्य का निवासी नहीं है, के लिए एफआईडीआर के माध्यम से जाति प्रमाण पत्र जारी करने की अनुमति नहीं है। यह जाति प्रमाण पत्र जारी करने के मौजूदा दिशा—निर्देशों के अनुपालन में है।